कार्यालय नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 15वॉ वित्त आयोग निधि के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, जौनपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15.12.2025 को बैठक सम्पन्न हुई जिसके क्रम में अपर जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं0–134/एल.बी.सी. जौनपुर दिनांक 07.03.2026 को निर्गत कार्यवृत्त में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुये निविदा की कार्यवाही कराने हेतु आदेश दिया गया था स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्गत कार्यवृत्त में नगर पालिका परिषद, जौनपुर के जलकल विभाग में पेयजलापूर्ति व्यवस्था हेतु विभिन्न स्थलों पर पाईप लाईन विस्तार कार्य कराने के लिए अधिकृत फर्मो से उ0प्र0 की ई–प्रिक्योरमेन्ट बेवसाइट **https//etender.up.nic.in** के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित किया गया था जिसमें क्रमांक 02, 03, 04, व 06 पर अंकित पाईप लाईन विस्तार कार्य की निविदा वित्तीय प्रतिस्पर्धा न होने के कारण से निरस्त करते हुये पुनः ई–प्रिक्योरमेन्ट बेवसाइट **https//etender .up.nic.in** के माध्यम से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

आनलाईन निविदा प्रकाशन की तिथि/समय	दि0. 23-6-2026	03:00 बजे अपरान्ह
आनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि/समय	दि0. 23-6-2026	04:00 बजे अपरान्ह से
आनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि/समय	दि0. 03-7-2026	03:00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि/समय	दि0. 03-7-2026	04:00 बजे अपरान्ह से

नियम व शर्तेः–

1. नगर पालिका परिषद, जौनपुर के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं0–08662722000231 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड **PUNB0086610** में वांछित निविदा शुल्क आन लाईन/बैंक द्वारा जारी जमा रसीद शुल्क जनरेट, रिफरेन्स रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार की उक्त निविदा को अवैध माना जायेगा। निविदा शुल्क नान ट्रास्फरेबल/नान रिफन्डेबल/नान एडजस्टेबल होगा। कोई भी नकद भुगतान धनराशि की रसीद स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम की निविदा डालने की दशा में **शासनादेश सं0–622/23–12– 2012–2 आडिट/09 टी0सी0–2 लखनऊ दिनांक 08 जून 2021** के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक विलो दर पर प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी परफोरमेन्स गारण्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर बिना किसी सूचना दिये निविदा निरस्त करते हुये उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
3. निविदा शुल्क एवं वांछित जमानत की स्कैन कापी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं शासनादेश संख्याः–1/2018/3070/78–2–2018/42 आई0टी0/2017(22) दिनांकः–03–जनवरी, 2018 का पालन पूर्ण रूप से किया जायेगा।
4. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जौनपुर को बिना कोई कारण बताये किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त/स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
5. कार्य स्थल पर लगे श्रमिको का उप श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीकरण कराकर सम्बन्धित ठेकेदार निर्माण विभाग को सूचित करेगा।
6. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड होने पर निविदा पर विचार/ निरस्त कर दी जायेगी।
7. निविदादाता द्वारा आगणन से उच्च/न्यून प्रतिशत में निविदा दरें डाली जायेगी।
8. निविदादाताओं को कार्य योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ उसके अगले 01 वर्ष तक रख–रखाव करना अनिवार्य है। जमानत राशि रख–रखाव अवधि बीतने के पश्चात रिलीज की जायेगी।
9. सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
10. नियमानुसार आयकर, जी0एस0टी0, श्रमकर, रायल्टी एवं समय–समय पर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा जारी करों की कटौती की जायेगी।
11. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित कीमत के स्टाम्प पेपर पर 07 दिवस में अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा, ससमय अनुबन्ध न कराने पर बिना सूचना दिए निविदा निरस्त करते हुए जमानत जब्त कर दी जायगी।
12. स्थल का निरीक्षण निविदादाता को टेण्डर देने के पूर्व करना होगा, बाद में किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नही होगी।
13. निविदा के साथ (10 प्रतिशत) सम्बन्धित कार्य के समक्ष अंकित जमानत राशि, नगर पालिका के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं0–08662722000231 जिसका आई0एफ0एस0सी0 कोड **PUNB0086610** में वांछित जमानत राशि ऑन लाईन जमा कर जनरेट रिफरेन्स रसीद की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा अथवा सम्बन्धित कार्य के समक्ष अंकित जमानत राशि के समतुल्य (एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0/ट्रेजरी चालान इत्यादि) जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जौनपुर के पदनाम से बन्धक होगा, की स्कैन कापी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा। जमानत प्रपत्र मूल रूप में **दिनांक** 03-7-2026 को **अपरान्ह 04:00** बजे तक प्रत्येक दशा में जलकल विभाग में हस्तगत कराना अनिवार्य होगा। बिना स्कैन अपलोड किये अथवा बिना मूल जमानत प्रपत्र हस्तगत कराई निविदा स्वतः अमान्य होगी।
14. कार्य निर्धारित अवधि मे पूर्ण करना होगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार के अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।

15. निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते है। निविदा खोले जाने की स्थिति में यदि अवकाश होगा तो निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
16. उक्त टेण्डर को नगर पालिका परिषद, जौनपुर की वेबसाइट www.nppjaunpuronline.org पर भी देखा जा सकता है।
17. यदि कूटरचित ढंग से तैयार किये गये दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए धरोहर की धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जायेगा।
18. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों/असमाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुबन्ध उसी समय निरस्त कर धरोहर की धनराशि जब्त करते हुए फर्म/नाम को काली सूची में डाला जायेगा।
19. निविदाओं में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नही होगा।
20. कार्य में मात्रात्मक बदलाव की स्वीकृति, अतिरिक्त मद की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
21. पाईप लाईन विस्तार कार्य कराने के लिये कार्य का अनुभव पिछले तीन वित्तीय वर्षो का, जो कम से कम 01 कार्य 75 प्रतिशत या 03 कार्य 35 प्रतिशत–35 प्रतिशत के हो, अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
22. जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र पंजीयन की स्व–प्रमाणित कापी स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
23. चरित्र प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित स्कैन कापी अपलोड करना अनिवार्य है।
24. हैसियत प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित स्कैन कापी अपलोड करना अनिवार्य है।
25. श्रम विभाग के पंजीयन की स्व–प्रमाणित कापी अपलोड करना अनिवार्य है।

26. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त (03 स्तर पर) स्पष्ट स्थल पहचान के साथ जी.पी.एस. फोटोग्राफी कराकर विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
27. कार्य में प्रयुक्त समस्त सामाग्री उच्च क्वालिटी का (आई.एस.आई. मार्क) होगा जिसका सत्यापन अवर अभियन्ता (जल) से कराने के उपरान्त ही उपयोग करना अनिवार्य होगा।
28. निविदादाता को प्रयुक्त की जाने वाली पाईप की टेस्टिंग कराकर रिपोर्ट देना अनिवार्य है।
29. शासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन एवं कोविड नियमो का पालन करते हुए स्थल पर कार्य सम्पादित कराया जायेगा।
30. अन्तिम भुगतान की कार्यवाही समस्त जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् की जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई/मात्रा	अनुमानित लागत (जी0एस0टी0 सहित)	जमानत धनराशि (जी0एस0टी0 रहित)	निविदा मूल्य जी0एस0टी0, स्टेशनरी चार्ज सहित	कार्य समाप्ति की अवधि
1	मो0–तुतीपुर चौराहा से तुतीपुर नाले तक, तुतीपुर चौराहा से निषाद बस्ती तक, तुतीपुर चौराहा से खालिक भैंस वाले तक व तुतीपुर चौराहा से मन्दिर तक पाईप लाईन विस्तार कार्य।	550 मी0	1157595.00	98101.00	1658.00	01 माह
2	नवसृजित वार्ड डेरायुसूफ में पाईप लाईन विस्तार कार्य।	2000 मी0	3213434.00	272325.00	3713.00	03 माह
3	नवसृजित वार्ड देवचन्दपुर में पाईप लाईन विस्तार कार्य।	2000 मी0	3104902.00	263127.00	3605.00	03 माह
4	मो0 नईगंज मुरादगंज मॉंतारा हास्पिटल से बालाजी फर्म तथा मॉंतारा हास्पिटल से शुक्ला ट्रांसपोर्ट मोड़ तक दोनो पटरी पर पाईप लाईन विस्तार कार्य।	1080 मी0	2395411.00	203001.00	2895.00	02 माह

10-6-2026

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

मनोरमा मौर्या
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

पत्रांकः– 632 /ग्यारह–जल/2026–27
दिनांकः– 22/06/2026

प्रतिलिपिः–
1–जिलाधिकारी जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, जौनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3–अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद जौनपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की पालिका वेवसाइड/ई–प्रिक्योरमेंन्ट की बेबसाइट **http://etender.up.nic.in** पर अपलोड कराये।
4–एन0आई0सी0, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5–कार्यालय अधीक्षक को सूचनार्थ एवं पालिका नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6–लेखाकार नगर पालिका परिषद, जौनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

10-6-2026

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जौनपुर।

Jalkal Vibhag C:\Users\HP\Desktop\15va E tender letter 30-03-2026.doc